



103

न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

निग-444-I-16

निर्मला देवी वेवा पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति
ठाकुर, आयु-50 वर्ष लगभग, निवासी-ग्राम
खेरा, मौजा थरा, अम्बाह जिला मुरैना म०प्र०

.....आवेदिका

पी०के० तिपारी 105.

द्वारा आज दि. 1-2-2016

प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

राघवेन्द्र सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह जाति ठाकुर,
आयु-29 वर्ष लगभग, निवासी- ग्राम खेरा,
मौजा थरा, अम्बाह जिला मुरैना म०प्र०

.....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश

दिनांक-1.12.2015 प्रकरण क्रमांक-27/14-15-अ/6 में पारित

महोदय,

श्रीमान जी के समक्ष आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है-

प्रकरण के तथ्य :-

- यहकि, मौजा थरा, तहसील अम्बाह जिला मुरैना, में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक-2764/1 पुराना क्रमांक-2029 रकवा 0.36 हैक्टेयर सर्वे-2770/2 पुराना क्रमांक-2024 रकवा 0.39 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक-2794 पुराना क्रमांक-3464 रकवा 0.70 हैक्टेयर सर्वे 2844 पुराना क्रमांक-3463 रकवा 0.88 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक-2852 पुराना क्रमांक-3458 रकवा 0.33 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 2853/1 पुराना क्रमांक 3457 रकवा 0.01 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 2854 पुराना क्रमांक-3465 रकवा 0.91 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में आवेदिका के ससुर होतम सिंह के नाम अंकित है। जो विवादित भूमि के रूप में आगामी पदों में सम्बोधित की जायेगी। विवादित भूमि आवेदिका की पैत्रिक सम्पत्ति है जो होतम सिंह को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। संयुक्त हिन्दू परिवार का सजरा निम्नानुसार है-

R/S

राघवेन्द्र सिंह

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों आ
हस्ताक्षर

4-11-16

पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक एवं अनावेदक के अभिभाषक को सुना गया। यह निगरानी तहसीलदार अम्वाह के प्रकरण क्रमांक 27/2014-15 अ-6 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21-12-15 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने तथा प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार अम्वाह द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 21-12-15 से आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त की है एवं प्रकरण आवेदक की साक्ष्य हेतु आगामी तिथी पर लगाया है। आवेदक के अभिभाषक ने बताया है कि तहसीलदार द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि के गलत अंतरण पर नामान्तरण कार्यवाही की जा रही है और नामान्तरण कार्यवाही अनावेदक के हित में पूर्ण कर दी गई तो वह आवेदिका को बलपूर्वक पैत्रिक भूमि से बेदखल कर देगा, जिससे उसे अपूर्तनीय क्षति होगी। उन्होंने बताया कि व्यवहार न्यायालय से अंतरिम आदेश दिनांक 23.11.15 से अनावेदक को अन्य परिजनों से के साथ विवादित कुछ भूमियों में दखल करने से निषेधित किया है। आवेदक विधवा महिला होकर निःशक्त श्रेणी में है जिसके कारण तहसीलदार द्वारा की जा रही मनमानी कार्यवाही पर रोक लगाई जावे। अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि व्यवहार न्यायालय का आदेश मात्र रहवासी मकान पर है कृषि भूमि पर नहीं है इसलिये तहसीलदार द्वारा लिया गया निर्णय ठीक है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन स्थिति यह है कि जब वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पैत्रिक संपत्ति होने के आधार पर मान.प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 अम्वाह के न्यायालय में स्वत्व का विवाद क्रमांक 31 ए/2015 ई0दी0 उभय पक्ष के बीच लंबित है एवं अंतरिम आदेश दिनांक 23-11-15 से रहवासी मकान के सर्वे नंबर की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा है ऐसी स्थिति में व्यवहार वाद स्वत्व विवाद के लम्बित रहते संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानों के विपरीत नामान्तरण कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है। अतएव तहसीलदार अम्वाह के प्रकरण क्रमांक 27/2014-15 अ-6 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21-12-15 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाती है।


सदस्य